

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA  
DIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 AUG 2023

GB 751336

उत्तर प्रदेश

(प्रारूप अ)

समस्त सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद  
लखनऊ उत्तर प्रदेश।



मन शिवराम सिंह यादव एवं सीमा यादव जनतः अत्यक्त एवं सचिव  
संघटना समिति हरिद्वार नगर, मैनपुरी राज्यपूर्वक निम्नमातृ बचाम करते  
है -

यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा आर्य बी० कालेज आफ फार्मसी  
एन०एच-२ आगरा रोड, इटावा नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की  
स्थापना सत्र २०२३-२४ से किया जाना प्रस्तावित है।

- यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम रा० पालीटेक्निक से सामने  
रस्ता एच-०२ मधारा रोड इटावा में गाटा  
संख्या ५४-के एवं ५४ म/२ रकबा कमरा: १-६४  
एवं ०-५११ हेक्टेयर (कुल रकबा २-२११ हेक्टेयर)  
भूमि है।

सचिव / प्रधानक  
संघटना समिति  
मैनपुरी

जनतः  
संघटना समिति

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 58 ऊ एवं 58 अ/2 रकबा क्रमशः 1.618 एवं 0.599 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.217 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी हेक्टेयर (कुल रकबा संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15/04/2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश समता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।-
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

  
 सचिव / प्रबन्धक  
 संघेतना समिति  
 मैनपुरी

  
 सचिव  
 संघेतना समिति

- 10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
- 11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अधीक्षक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
- 12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिन होगा एवं मुझे मान्य होना। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।  
 मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अमिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटप्रतिता अथवा झुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निम्नानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



हो सचिव

*[Handwritten Signature]*

प्रबन्धक  
विति

अध्यक्ष

*[Handwritten Signature]*

प्रियंका

सचिव / प्रबन्धक  
संघेता समिति

शिवराम सिंह/प्रबन्धक/संघेता समिति/मैनपुरी

पुनः संदिग्ध

01-3-21

*[Handwritten Signature]*